उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

सी0 ए0 नं0-01/2007-08

मुबारक करीम

बनाम्

शाखा प्रबंधक, एस0बी0आई0, गोड्डा एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक	
01/12/14	अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता मुबारक करीम, पिता—मो0 सहाबुद्दिन, सा0—असनबनी, थाना—गोड्डा नगर, जिला—गोड्डा ने नीलाम पत्र पदाधिकारी—सह—अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के सी0सी0।।। 731/2007—08 आदेश दिनांक—08.11.2007 के विरूद्ध दायर किया है। उक्त वाद के दिनांक—08.11.2007 के आदेश से अपीलकर्त्ता के विरूद्ध ऋण के बकाये वसूली के लिए अपीलकर्त्ता के विरूद्ध स्थायी तौर पर गिरफ्तारी वारंट निर्गत कर थाना प्रभारी, गोड्डा नगर, जिला—गोड्डा को भेजा गया है। अपीलकर्त्ता का आवेदन है कि अपीलकर्त्ता भारतीय स्टेट बैंक, गोड्डा के ऋणी हैं। उन्होंने ऑटो मोबाईल बिजनेस हेतु भारतीय स्टेट बैंक, गोड्डा से ऋण लिया था। ऑटो मोबाईल का व्यवसाय का बिजनेस शुरू करने के बाद अपीलकर्त्ता को भारी नुकसान हुआ, जिस कारण से समय पर अपीलकर्त्ता ऋण नहीं चुका पाये। अपीलकर्त्ता के विरूद्ध ऋण वसूली के लिए भारतीय स्टेट बैंक, गोड्डा के द्वारा नीलाम पत्र पदाधिकारी—सह—अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में वाद दायर किया गया। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को नोटिश दिया गया। अपीलकर्त्ता न्यायालय में उपस्थित हुए एवं लिखित आवेदन दिया गया कि उनके द्वारा पूर्व में कुछ राशि जमा किया गया है। जिसका उल्लेख बैंक द्वारा दायर वाद में नहीं किया गया था। निम्न न्यायालय के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, गोड्डा से अपीलकर्त्ता के द्वारा जमा राशि का विवरण की मांग की गयी। अपीलकर्त्ता के द्वारा भी जमा राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया। लेकिन इसी बीच निम्न न्यायालय के द्वारा ऋण वसूली हेतु स्थायी रूप से गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम के अनुरूप नहीं है। अपीलकर्त्ता का आवेदन विचारणीय योग्य है। उन्होंने निम्न न्यायालय के द्वारा निर्गत स्थायी वारंट को रोकने एवं अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–180 दिनांक–22.02.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मामले का देनदार मुबारक करीम के द्वारा आवेदन देकर सूचित किया गया है कि अपीलकर्त्ता मुलधन एवं ब्याज की राशि का 25% राशि जमा करना चाहता है। अपीलकर्त्ता के आवेदन के आलोक में उनको 25% राशि जमा करने का निदेश दिया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक, गोड्डा के द्वारा 807592.00 (आठ लाख सात हजार पाँच सौ विरानबे) रू0 की वसूली हेतु निम्न न्यायालय में नीलाम पत्र वाद दायर किया था। निम्न न्यायालय ने वसूली हेतु स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके विरूद्ध में अपीलकर्त्ता के द्वारा वर्तमान वाद दायर किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अपीलकर्त्ता को बैंक में जमा राशि का विवरण प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के विरूद्ध जमा राशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक से लिये गये ऋण को जमा करने हेतु अपीलकर्त्ता का अभिरूचि नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नीलाम पत्र पदाधिकारी –सह–अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के सी0सी0।।। 731/2007–08 आदेश दिनांक–08.11.2007 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजते हुए नीलाम पत्र पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्त्ता से ऋण वसूली की कार्रवाई करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:35:47 +05:30
Location: 192.168.29.8